

**मंडल की 27.11.2017 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय.**

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गए निर्णय	विभाग / प्रभाग
1.	151	दिनांक 10 नवंबर 2017 को हुई मंडल की विशेष बैठक के कार्यवृत की पुष्टी.	दिनांक 10.11.2017 को हुई मंडल की विशेष बैठक के कार्यवृत की पुष्टी की जाती है।	सामान्य प्रशासन
2.	152	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल में जो सेवायें उपलब्ध नहीं है ऐसी सेवाओं के लिए मुंपोट्र मरीजों को सूचीबद्ध अस्पतालों में भेजने संबंधी दिशानिर्देश.	विचार विमर्श आस्थगित.	चिकित्सा
3.	153	सम्पदा प्रभाग में सम्पदा प्रबंधक के फीडर पद में वर्तमान पदधारकों के लिए रिआयत - भर्ती नियमों में संशोधन.	सम्पदा प्रबंधक का पद भर्ती की द्वितीय प्रक्रिया यानी सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने के लिए और अगर कोई प्रतिसाद नहीं मिलता है तो सीधी भर्ती द्वारा पद भरने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है। अगर दोनों प्रक्रियाओं में सफलता नहीं मिलती है, तो नामावली में वर्तमान अधिकारियों के लिए भर्ती नियमों में रिआयत देने के विकल्प पर विचार किया जाए।	मानव संसाधन
4.	154	लोह एवं इस्पात कार्गो के आयात/तटीय प्रेषण माल के लिए रिआयती भंडारण सुविधाओं में विस्तार.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को कार्योन्तर मंजूरी प्रदान की जाती है।	यातायात
5.	155	घरेलू कूज टर्मिनल से संबंधित यात्रियों के निकासी/प्रवेश संबंधी प्रक्रिया.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य
6.	156	15, विकटोरिया गोदी में प्रस्तावित घरेलू कूज टर्मिनल - लंगरगाहों एवं टर्निंग सर्कलों के निर्माण के लिए निकर्षण.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य
7.	157	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के संबंध में संशोधन संबंधी.	महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 के साथ पठित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 5 के अन्तर्गत अनुलग्नक I में यथानिर्दिष्ट भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति में प्रस्तावित संशोधन, बशर्ते इसी की धारा 124 (1) के अन्तर्गत सरकारी मंजूरी प्राप्त हो, अनुमोदित किया जाता है।	मानव संसाधन

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गए निर्णय	विभाग / प्रभाग
8.	158	निविदा सं.एफए/ईएवंटी/200/2014: विभिन्न मुंपोट्र सम्पत्तियों में मोबाइल नेटवर्क टॉवर प्रतिस्थापित करने हेतु 5 वर्ष के लिए पट्टे पर 15 मुंपोट्र स्थानों को भाड़े पर देना।	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का संयुक्त निदेशक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	ई एवं टी (वित्त)
9.	159	मुंबई पोर्ट में जहाज के न चलने के दौरान रिआयती पोर्ट प्रभारों के लिए अनुरोध।	टिप्पणी के परिच्छेद 17 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	यातायात
10.	160	दो पायलट लांचों को 5 वर्ष के लिए, तत्पश्चात 2 वर्ष और बढ़ाने का अवसर हो, भाड़े पर लेना। - प्राक्कलन सं.डीसी-01/2017 को मंजूरी।	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	समुद्री
11.	161	दो मूरिंग लॉच किराये पर लेना।	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	समुद्री
12.	162	निविदा सं.ई.108/2017- सरकारी निजी सहभाग मॉडल पर इंदिरा गोदी में आन्तरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल तथा 15, विकटोरिया गोदी के घरेलू क्रूज टर्मिनल मुंबई के प्रस्तावों के लिए कानूनी, तकनीकी तथा वित्तीय कार्य-संपादन कराने के लिए दो वर्षों की अवधि के लिए कार्य-संपादन सलाहकारों की फर्मों से तकनीकी, कानूनी तथा वित्तीय विशेषज्ञों की नियुक्ति। - बोली मूल्य की स्वीकृति तथा प्राक्कलन को मंजूरी।	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य
13.	163	निविदा सं.ई.10ए/2017 - इंदिरा गोदी, मुंबई में वर्तमान मुंबई आन्तरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल (एमआयसीटी) का आधुनिकीकरण -ठेकेदारों के कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों का आबंटन।	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य

क्र. सं.	संकल्प सं.	विषय	लिए गए निर्णय	विभाग / प्रभाग
14.	164	महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 53 तथा दिनांक 27.7.2017 के आदेश द्वारा एसएलपी(सी) सं.771-772 में माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये सहुलियत के संदर्भ में इन्दर इन्टरनेशनल तथा श्री लक्ष्मी स्टील्स, लुधियाना द्वारा किये गये आयातों के संबंध में जमीन किराया प्रभारों की माफी संबंधी अनुरोध.	अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को ध्यान में रखते हुए चर्चा की टिप्पणी में उल्लिखित कारणों के संबंध में परिच्छेद 10.1 (डी) के विकल्प को अनुमोदित किया जाता है। आवेदनकर्ता निर्णय की सूचना की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्रेषणमाल को उठायें।	यातायात
15.	165	पी. डि'मेलो रोड के पादचारी पुल को गिराना।	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य
16.	166	सीई.जे.डी-5 (यांत्रिकी कार्य)/2017-मुंबई हार्बर में जवाहर द्वीप स्थित पॉर्चवे तेल घाट परियोजना के लिए यांत्रिकी, पाइपिंग, विद्युतीय तथा अग्निशमन सुरक्षा कार्य - ठेका प्रदान करने हेतु अनुमोदन।	टिप्पणी के परिच्छेद 11 की निविदा समिति की सिफारिशों अनुमोदित की जाती है।	स्थापत्य
17.	167	मुंपोट्र अस्पताल में सम्पूर्ण घुटना प्रतिस्थापन शल्यचिकित्सा (टी के आर) हेतु प्रतिक्षा सूची पर रखे गये 200 मरीजों का तीन महिनों के अंदर ऑपरेशन करने के लिए अंशकालिक संधि प्रतिस्थापन अस्थशोधन तंत्र शल्यचिकित्सक को सूचीबद्ध करना।	(i) मुंपोट्र डाक्टर्स तथा यदि आवश्यक हो तो पोर्ट ट्रस्ट नामावली पर मानदेय डाक्टर्स सम्पूर्ण घुटना प्रतिस्थापन शल्यचिकित्सा प्रारंभ करें। (ii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी बोर्ड नोट के परिच्छेद 6 के प्रस्ताव पर निर्णय हेतु एक महीने की अवधि के बाद हुई प्रगति के बारे में अध्यक्ष को सूचित करें।	चिकित्सा
18.	168	दो वर्षों की अवधि के लिए सीजीएचएस द्वारा निर्धारित दर पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मरीजों को इलाज प्रदान करने के लिए क्रेडिट सुविधाओं उपलब्ध कराने हेतु सीजीएचएस के साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों, विशिष्ट नेत्रचिकित्सा अस्पताल केन्द्रों, विशिष्ट दंत चिकित्सालयों, कैंसर अस्पतालों/युनिटों तथा रोगनिदान विज्ञान केन्द्रों की सूची के लिए ऑनलाइन निविदा - निविदा सं.सीएमओ-11/2017-18.	(1) टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी वित्तीय शर्त को हटाने के बाद निविदा पुनः मंगाये।	चिकित्सा

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गए निर्णय	विभाग / प्रभाग
19.	169	निविदा सं.सीई.जेडी 5/समुद्री पाइपलाइन/2017. मुंबई हार्बर के जवाहर द्वीप में पाँचवे तेल घाट परियोजना के लिए ऑफशोर/ऑनशोर पाइपलाइन की प्रतिस्थापना तथा टर्मिनल कार्य. - ठेका प्रदान करने के लिए अनुमोदन.	मेसर्स सपुरा ऑफशोर के साथ बातचीत करके उनके प्रस्ताव को कम करने के लिए मुख्य अभियंता, मुख्य यांत्रिक अभियंता, विस व मुलेआ के साथ वरिष्ठ अधिकारी, ईआयएल को शामिल करके एक समिति गठित करने को मंजूरी प्रदान की जाती है। तथा इसकी रिपोर्ट उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली न्यासी समिति, जिसमें श्री. एस.के दास, श्री सुनील राणे तथा श्री. केरसी पारेख सदस्य होंगे, को प्रस्तुत करना होगा जो संविदा प्रदान करने के संबंध में निर्णय लेंगे।	स्थापत्य

.....

c6/Pro 27 November 2017/actiontaken20171127(hindi)